



मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

32, सिविल लाइन्स, मथुरा



उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत स्वीकृति

पत्र संख्या 201908/181/462477

श्री/श्रीमती/पुत्री

अशोक कुमार शर्मा

पुत्र/पत्नी श्री निजुआराम शर्मा

निवासी: खसरा संख्या 624 मथुरा तहसील- मथुरा जिला- मथुरा

तल्ल:

निम्नोक्त प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्माण कार्य करने के लिए प्राप्यता पत्र दिनांक 02-07-2020 को दिया। जो निर्माण कार्य करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ मान्य दिनांक 15-07-2020 से 14-07-2025 तक की जाती है :

- (1) निर्माण कार्य स्वीकृत भागविवरण के अनुसार किया जायेगा।
- (2) निर्माण कार्य का कोई भी भाग सरकार अथवा नगर परिषद को पूरा कर करिके समय नहीं करेगा और न यह उन पर प्रेजेन्ट करेगा।
- (3) निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के परन्तु कार्य की पूर्ति के सम्बन्ध में अनुज्ञापत्रकर्ता इस विकास प्राधिकरण को निर्माण की प्रगति के बारे में निम्नलिखित सूचना देगा-
 - (क) निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि
 - (ख) नौकर भरी जाने के परन्तु प्राय बीकार होने से पूर्व
 - (ग) स्वीकृत क्षेत्र अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि, गुण प्रवेश के पूर्व

(4) यदि अनुज्ञापत्र केवल बीच चर के लिए मान्य होगी, जिसके भीतर इमारत पूर्ण रूप से बनाने का प्रस्ताव-पत्र देना अनिवार्य होना और ऐसा न होने पर यदि अनुज्ञापत्रकर्ता अर्थात् समय से भीतर प्रार्थना करे तो स्वीकृति एक वर्ष के लिए और बाकी जो खर्चे परन्तु यह मकान उस समय के भीतर लिए लागू नियमों के अधीन होगा। स्वीकृति अर्थात् के परन्तु किया गया निर्माण अर्थात् संपन्न जायेगा।

(5) कोई भी नई मवाई गई फिर से पलाई गई या रद्दी बहाल की गई इमारत को पूर्ण भाग में उन्नत सम्पन्न बना देने की आज्ञा नहीं होगी जब तक ऐसा करने के लिए नगर पालिका, मथुरा सर्विसिफेड न प्रस्तुत किया जाये, जिसमें यह लिखा है कि इमारत हर प्रकार के नियमों के अनुकूल है तथा उपरोक्त की पूर्ति करती है और सारे योग्य है।

(6) उपरोक्त निर्माण इन्डियन स्टैण्डर्ड्सिरी ररस 1957 के नियमों 79 तथा 30 के अनुसार किया जायेगा और ^{निम्नलिखित नियमों में पूर्ण} विन्देयता-निर्माणकर्ता की होगी।

(7) इन आठ शर्तों का प्राधिकरण सुरक्षा योग्य।
(8) भागविवरण पर चर्चा सम्पन्न हुई, मान्य होगी।

निम्नलिखित पर प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा के लिए निर्माण कार्य के संचालन एवं पूरा करने का समय का कोई (60cm x 60cm) प्रतिमात्र कर अनिवार्य होगा। तलपट्टी पाकिष्ठ/गुण प्राधिकरण के मान्यता के आन्तरिक विकास एवं निम्नलिखित/सुरक्षा के लिए निर्माण/परम्परा विकास की किराई का प्रस्ताव पूर्णित करने के लिए निर्माण करने के छोड़ रखे गये कच्चा भूखण्ड का विवरण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सचिव

श्री निजुआराम शर्मा तान-तहसील।
मथुरा

PRINCIPAL CHAIRMAN
PTAKSHARM

श्री निजुआराम शर्मा तान-तहसील।
मथुरा